

न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, बेरमो (तेनुघाट)।

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1),(क)/(ख) के अंतर्गत

परमिशन वाद सं० 52 वर्ष 2024

आवेदक— रतन महतो

क्रेता— जगत महतो

ग्राम— सरलाखुर्द उर्फ जाराडीह

ग्राम— सरलाखुर्द उर्फ जाराडीह

थाना— पेटरवार

जिला—बोकारो

थाना— पेटरवार

जिला—बोकारो

आदेश की क्र०सं०
तारीख
01

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

02

आदेश प
कारवाई
टिप्पणी

23/12/24

आदेश

यह वाद आवेदक श्री रतन महतो, पिता—स्व० विशुन महतो, वर्तमान पता—ग्राम—सरलाखुर्द उर्फ जाराडीह, थाना—पेटरवार, जिला—बोकारो के द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)/(ख) के अंतर्गत निम्नांकित जमीन, विवरणी निम्नवतः—

मौजा	थाना न०	खाता न०	प्लॉट सं०	कुल रकबा	बिक्री रकबा	भूमि दर्जा
सरलाखुर्द उर्फ जाराडीह	13	15	599	0.87 ए०	0.06 ए०	रैयती टांड दो, वर्तमान सवरूप परती

को वे आवश्यक कार्य हेतु मो 1,25,000/—(एक लाख पचीस हजार) रुपये में क्रेता—जगत महतो, पिता—स्व० लक्ष्मण महतो, पता—ग्राम— सरलाखुर्द उर्फ जाराडीह, थाना—पेटरवार, जिला—बोकारो के साथ बिक्री करने की अनुमति हेतु समर्पित आवेदन के आधार पर आरम्भ किया गया तथा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1),(ख) के तहत आवेदन पत्र को पंजीकृत करते हुए आम सूचना निर्गत की गई, तथा इस कार्यालय के पत्रांक 222/रा०, दिनांक 14.03.2024 के माध्यम से अंचल अधिकारी पेटरवार से जॉच प्रतिवेदन की मांग की गई।

निर्धारित अवधि तक किसी के द्वारा प्रस्तावित भूमि की अनुमति प्रस्ताव के विरुद्ध कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। प्रस्तावित भूमि की बिक्री अनुमति के संबंध में अंचल अधिकारी पेटरवार के पत्रांक—1095, दिनांक—06.11.2024 से वांछित जॉच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया है किः—

01. बिक्रेता एवं क्रेता दोनों कुर्मी (महतो) जाति के सदस्य हैं जो पिछड़ी जाति वर्ग के अंतर्गत आते हैं। बिक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही थाना एवं जिला—बोकारो के निवासी हैं।
02. बिक्री की जाने वाली भूमि का सर्वे खतियान में सोनाराम महतो वगै० के नाम से दर्ज हैं तथा सरकारी अभिलेख पंजी—II के पृष्ठ सं० 2/69, में अरजलाल महतो, विशुन वगै० के नाम से जमाबंदी कायम हैं एवं लगान रसीद वर्ष 2022-23 तक निर्गत हैं। जमाबंदी कायम होने का आधार खतियान हैं।
03. खतियानधारी रैयत से बिक्रेता का संबंध वंशावली के आधार पर पिता—पुत्र का है। बिक्री की जाने वाली भूमि बिक्रेता के हक व हिस्से के अंतर्गत आता है एवं बिक्रेता का दखल कब्जा में हैं।

04. प्रस्तावित भूमि भू—हदबन्दी, भूदान, सैरात, वन भूमि तथा अधिग्रहण क्षेत्र से बाहर हैं।

उनके द्वारा बिक्रेता को प्रस्तावित भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा के साथ प्रतिवेदन को अग्रसारित किया गया हैं।

दोनों पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए। दोनों पक्षों का ब्यान दर्ज किया गया। बिक्रेता द्वारा अपने बयान में बतलाया गया हैं कि आवेदनांकित जमीन सर्वे खतियान में सोनाराम महतो वगै० के नाम से दर्ज हैं तथा सरकारी अभिलेख पंजी—II के पृष्ठ सं० 2/69, में अरजलाल महतो, विशुन वगै० के नाम से जमाबंदी कायम हैं एवं लगान रसीद वर्ष 2022-23 तक निर्गत हैं। बिक्री वाली जमीन उसके हक हिस्से की हैं जिसे वे आवश्यकता वश बेच रहे हैं।

क्रेता का कहना है कि उन्होंने प्रस्तावित जमीन को देखा है। उक्त जमीन पर कोई भी नहीं है, तथा वर्तमान में आवेदक के शांति पूर्ण दखल कब्जे में हैं।

उभय पक्ष अपने पक्ष निम्नांकित कागजात/दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं:-

01. बिक्रेता- खतियान की छायाप्रति हैं, लगान रसीद का छायाप्रति, आवासीय प्रमाण की छायाप्रति, जाति प्रमाण की छायाप्रति एवं स्वयं के नाम आधार कार्ड की छायाप्रति ।

02. क्रेता- आवासीय प्रमाण की छायाप्रति, जाति प्रमाण की छायाप्रति एवं स्वयं के नाम आधार कार्ड की छायाप्रति ।

दोनों पक्षों का ब्यान सुनने, उनके द्वारा समर्पित कागजातों एवं अंचल अधिकारी, पेटरवार से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि बिक्रेता एवं क्रेता दोनों कुर्मी (महतो) जाति के सदस्य हैं जो पिछड़ी जाति वर्ग के अंतर्गत आते हैं। बिक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही थानान्तर्गत एवं जिला अन्तर्गत के निवासी हैं। आवेदित भूमि बिक्रेता के हिस्से की जमीन है, जो बिक्रेता के पैतृक के नाम से हासिल हैं जिसे वे आवश्यकता वश बेचना चाहते हैं।

अतः श्री रतन महतो, पिता-स्व० विशुन महतो, वर्तमान पता-ग्राम-सरलाखुर्द उर्फ जाराडीह, थाना-पेटरवार, जिला-बोकारो को निम्नांकित भूमि:-

मौजा	खाता न०	प्लॉट सं०	कुल रकबा	बिक्री रकबा	उत्तर सीमा	द० सीमा	पूरब सीमा	पश्चिम सीमा
सरलाखुर्द उर्फ जाराडीह 13	15	599	0.87 ए०	0.06 ए०	भगतु महतो वगै०	फुलेश्वरी देवी	धनेश्वर महतो	राधा महतो
कुल				06 डी० (छह डिसमिल जमीन मात्र)				

मौ० 1,25,000/- (एक लाख पचीस हजार) रुपये या जिला अवर निबंधक बोकारो द्वारा निर्धारित नवीनतम भूमि मूल्यांकित राशि में जो अधिक हो, की दर से क्रेता-जगतु महतो, पिता-स्व० लक्ष्मण महतो, पता-ग्राम- सरलाखुर्द उर्फ जाराडीह, थाना-पेटरवार, जिला-बोकारो के साथ बिक्री करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

इसके साथ ही इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। इस आदेश से उभय पक्षों को अवगत करावें।

लेखापित एवं संशोधित।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता
बेरमो (तेनुघाट)।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता
बेरमो (तेनुघाट)।